जिसने न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या की जांच की थी, विभिन्न सिफारिशें, जिसमें न्यायपालिका में अधिकारिता और प्रक्रियात्मक उपांतरण सुधार, न्यायालयों में कार्यालय उपस्करों के आधुनिकीकरण सहित अब संरचनात्मक सुविधाओं, न्यायालयों के दिन-प्रतिदिन के कार्य में सुधार और पुराने मामलों को पूर्विकता देने आदि जैसे विभिन्न पहलू सम्मिलित हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित सभी संबंधित राज्य सरकारों उच्च न्यायालयों को आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही के लिए भेज दी गई हैं।

न्यायिक प्रणाली में सुधार किया जाना

1045. **श्री राजूभाई ए. परमार**: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यायिक प्रणाली में सुधार किए जाने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) सुधार संबंधी अनेक सिफारिशें, सरकार के विभिन्न विभागों के विचाराधीन हैं, जिनका उद्देश्य न्याय प्रशासन की प्रणाली का विकेन्द्रीकरण करना, प्रक्रिया संबंधी विधियों का सुधार करना, मुकदमों में कमी करना।

उनसे बचना, आदि है। इन में कर न्यायालय, श्रम न्याय-निर्णयन में राष्ट्रीय एक रूपता मंच, नगरीय मुकदमें, न्याय निर्णयन के विकल्प के रूप में मध्यस्थता, बैनामी संव्यवहार, आदि के संबंध में सिफारिशें सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त मालिमथ समिति द्वारा की गई प्रक्रिया संबंधी और अधिकारिता संबंधी सुधारों की बाबत सिफारिशों को उच्च न्यायालय राज्य सरकारों को यथोचित रूप से अपनाने के लिए भेज दिया गया है।

Amtndment to Companies Act, 1956

1046. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1685 given in the Rajya Sabha on the 9th March, 1992 and state by when Government propose to bring forward a legisatlion before Parliament for the recodification of the Companies Act, 1956?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY): The matter is still under consideration.

Appointment of district/additional district judges in Jammu and Kashmir

1047. SHRI SHABBIR AHMED SALARIA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the ratio in which the District Judges/Additional District Judges in Jammu and Kashmir are appointed by promotion viz-a-viz by direct recruitment from the Bar;

(b) what is the total number of posts in the cadre of District/Additional District Judges in Jammu and Kashmir;

(c) what is the number of District/Additional District Judges who have been appointed by direct recruitment from the Bar so far; and

(d) how many more District/Additional District Judges are likely to be appointed from the Bar to give the direct recruits their share under rules and by when Government propose to do the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE TICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) 75 per cent of such posts are filled by promotion while 25 per cent are required to be filled up by direct recruitment from the Bar.